न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला खैरथल तिजारा

क्रमांक : 62 दिनांक : 4-7-2025

:: संशोधित कार्यालय आदेश ::

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, खैरथल के पत्र क्रमांक 684 दिनांक 03.07.25 की अनुपालना मे, मै रनवीर सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरथल तिजारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 24 दिनांक 25.06.2025 की निरन्तरता में संशोधन करते हुए खैरथल तिजारा जिले मे स्थित समस्त अधीनस्थ न्यायालयो का क्षेत्राधिकार निम्न प्रकार आवंटित करता हूं।

क्रम सं.	नाम न्यायालय	क्षेत्राधिकार दिये जाने वाले पुलिस थाने का नाम
1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरथल (नवसृजित)	1. पुलिस थाना खैरथल में उत्पन्न होने वाले भा.द.सं./बी.एन.एस. के तहत दण्डनीय सभी आपराधिक प्रकरण 2. पुलिस थाना खैरथल क्षेत्र के सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम स्त्री तथा लडकी अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, वन अधिनियम के मामले, वन्य जीव प्रतिरक्षण अधिनियम के मामले, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के मामले, आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले, **खैरथल थाना क्षेत्र के आबकारी एक्ट के प्रकरण, साईबर थाना खैरथल के क्षेत्राधिकार से उदभूत होने वाले खैरथल, मुण्डावर, कोटकासिम, ततारपुर थाना क्षेत्र के प्रकरण।** स्पेशल एक्ट– (खैरथल क्षेत्र से संबंधित)
2	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1, किशनगढबास	थाना किशनगढबास में उद्भूत होने वाले भा.द.सं./बी.एन.एस. के तहत फौजदारी प्रकरण एवं किशनगढबास क्षेत्र के ई सी एक्ट, एफ एस एस एक्ट, पीटा एक्ट, वन अधिनियम से संबंधित, फूड सैफटी एण्ड स्टैण्डर्ड एक्ट, पर्यावरण कानून, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के मामले, एवं अन्य विशेष अधिनियम के तहत उदभूत होने वाले प्रकरण, पर्यावरण कानून, स्पेशल एक्ट– (किशनगढबास क्षेत्र से संबंधित) (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशिष्ट अधिकारिता को छोडकर)
3	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2, किशनगढबास	महिला थाना खैरथल में **थाना** किशनगढबास के क्षेत्राधिकार मे उद्भूत होने वाले महिलाओं के विरूद्व अत्याचार से संबधित प्रकरण, साईबर पुलिस थाना खैरथल में किशनगढबास **थाना** क्षेत्र के क्षेत्राधिकार मे उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशिष्ट अधिकारिता को छोडकर)
4	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढबास	किशनगढबास **थाना** क्षेत्र के आबकारी एक्ट के प्रकरण एवं थाना

		किशनगढबास के एम.वी. एक्ट के प्रकरण, किशनगढबास **थाना** क्षेत्र के 138 एन. आई.एक्ट के प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशिष्ट अधिकारिता को छोडकर)
5	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरथल	थाना खैरथल क्षेत्र के 138 एनआई एक्ट के प्रकरण, थाना खैरथल क्षेत्र के एम. वी. एक्ट के प्रकरण महिला थाना खैरथल में **थाना** खैरथल क्षेत्र के क्षेत्राधिकार मे उद्भूत होने वाले महिलाओं के विरूद्व अत्याचार से संबधित प्रकरण, (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशिष्ट अधिकारिता को छोडकर)
6	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1, तिजारा	थाना तिजारा में उद्भूत होने वाले भा.द. सं./बी.एन.एस. के तहत फौजदारी प्रकरण एवं थाना तिजारा क्षेत्र के आबकारी एक्ट के प्रकरण
7	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2, तिजारा	थाना शेखपुर में उद्भूत होने वाले फौजदारी प्रकरण एवं थाना शेखपुर क्षेत्र के आबकारी एक्ट प्रकरण स्पेशल एक्ट– (तिजारा उपखण्ड क्षेत्र से संबंधित) ई सी एक्ट, एफ एस एस एक्ट, पीटा एक्ट, वन अधिनियम से संबंधित एवं अन्य विशेष अधिनियम के तहत उद्भूत होने वाले प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशिष्ट अधिकारिता को छोडकर)
8	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट तिजारा	थाना टपूकडा में उद्भूत होने वाले फौजदारी प्रकरण एवं टपूकडा थाना क्षेत्र के आबकारी एक्ट के प्रकरण थाना खुशखेडा में उद्भूत होने वाले फौजदारी प्रकरण एवं खुशखेडा थाना क्षेत्र के आबकारी एक्ट के प्रकरण
9	ग्राम न्यायालय, तिजारा	ग्राम न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरण थाना तिजारा, टपूकडा, खुशखेडा से संबंधित
10	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट तिजारा	थाना जैरोली में उद्भूत होने वाले फौजदारी प्रकरण एवं थाना जैरोली क्षेत्र के आबकारी एक्ट प्रकरण
11	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिवाडी	**थाना भिवाडी में उद्भूत होने वाले फौजदारी प्रकरण, साईबर पुलिस थाना भिवाडी से संबंधित उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरण** (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशिष्ट अधिकारिता को छोडकर)
12	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भिवाडी	**थाना चौपानकी, महिला थाना भिवाडी, थाना भिवाडी फेज तृतीय, यातायात थाना में उद्भूत होने वाले प्रकरण** (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशिष्ट अधिकारिता को छोडकर)
13	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटकासिम	थाना कोटकासिम में उद्भूत होने वाले फौजदारी प्रकरण थाना कोटकासिम क्षेत्र के आबकारी एक्ट के प्रकरण **थाना कोटकासिम क्षेत्र के 138 एनआई एक्ट के प्रकरण,** **महिला थाना खैरथल में उद्भूत होने वाले कोटकासिम थाना क्षेत्र केमहिलाओं के विरूद्व अत्याचार से संबधित प्रकरण**

		(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशिष्ट अधिकारिता को छोडकर)
14	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुण्डावर	थाना मुण्डावर में उद्भूत होने वाले फौजदारी प्रकरण, थाना मुण्डावर क्षेत्र के 138 एनआई एक्ट के प्रकरण **महिला थाना खैरथल में उद्भूत होने वाले मुण्डावर एवं ततारपुर थाना क्षेत्र के महिलाओं के विरूद्व अत्याचार से संबधित प्रकरण** (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशिष्ट अधिकारिता को छोडकर)
15	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मुण्डावर	थाना ततारपुर में उद्भूत होने वाले फौजदारी प्रकरण थाना मुण्डावर, ततारपुर क्षेत्र के आबकारी एक्ट के प्रकरण थाना ततारपुर क्षेत्र के 138 एनआई एक्ट के प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशिष्ट अधिकारिता को छोडकर)

नोटः थाना खुशखेडा के 12 गॉव – ऑकोली, हाजनका, लालपुर, धामावास, जोखाबास, भाभूवास, भौकर, कायमपुर–जोखावास, बूढी बावल, मॉजरी, नसोपुर, मोधुपुर के फौजदारी एवं आबकारी प्रकरणों का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट तिजारा से न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटकासिम को किया जाता है।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

नोट– 1– मुख्यालय खैरथल के बाहर जहां केवल एक न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है विशिष्ट अधिनियम के तहत उद्भूत होने वाले प्रकरणों की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।
(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशिष्ट अधिकारिता को छोडकर)

2– आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामले चाहे संबंधित थाना द्वारा दर्ज हो या आबकारी वृत्त /आबकारी विभाग /आबकारी थाना द्वारा दर्ज हो, वे सभी प्रकरण उक्तानुसार संबंधित थाना क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय के समक्ष पेश होंगे।

3– जो एफ.आई.आर. न्यायालय में पेश की जा चुकी है जिनमें चालान/अंतिम प्रतिवेदन पुलिस द्वारा पेश नहीं किए गए है ऐसे प्रकरणों में चालान/अंतिम प्रतिवेदन उसी न्यायालय में पेश किये जाये जिनसे संबंधित एफ.आई.आर. जिस न्यायालय में पूर्व में पेश की गई है।

4/7/25

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खैरथल – तिजारा (राज0)

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)